# न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ

**पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.**

**अपील संख्याः–03/2021 अपील (रसद)**

कृष्ण कुमार पुत्र श्री राजा राम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

**––अपीलान्ट**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ।

**––रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.04.2021 जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़, सरकार बनाम कृष्ण कुमार, उचित मूल्य दुकान रामपुरा/रामसरा को अपास्त करने बाबत्।

**निर्णय** **दिनांकः–23.09.2021**

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट को ग्राम रामपुरा उर्फ रामसरा में उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र जारी था। अपीलान्ट सन 2002 से नियमित रूप से कार्य कर रहा था। श्री हरबंश सिंह पुत्र निका सिंह सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा का चुने जाने के पश्चात येन केन राशन वितरण में अपनी विधि लागू करवाने को दवाब बनाना, न करने पर अपीलान्ट की झूठी शिकायतें कर अपीलान्ट का लाईसेन्स निरस्त करवाकर अपने चहेते आदमी को दिलवाना चाहता था, जिसके लिए अपीलान्ट को तंग करने के उद्देश्य से सरपंच हरबंश सिंह, बलविन्द्र सिंह, राजाराम भाम्भू आदि ने झूठी शिकायतें व मुकदमें किये। दिनांक 16.11.2015 को थानाधिकारी साहब, टिब्बी में प्रार्थी के परिवार के खिलाफ एक झूठी दरख्वास्त देकर फंसाने प्रयास किया लेकिन दरख्वास्त को जांच में सरपंच हरबंश सिंह का झूठ सामने आ गया। दिनांक 13.01.2017 को सरपंच हरबंश सिंह ने अपीलान्ट के खिलाफ मारपीट व एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 14/2017 पुलिस थाना तलवाड़ा में दर्ज करवाकर झूठा फंसाने का प्रयास किया जिसमें पुलिस ने अपीलान्ट को निर्दोष माना।

उक्त सरपंच हरबंश सिंह ने अपने लोगों से अपीलान्ट की शिकायतें करवानी शुरू कर दी कि राशन वितरण में गडबड़ी का आरोप लगाने लगा। दिनांक 03.01.2017 को कुछ अपने ही व्यक्तियों को इकट्ठा कर पंचायत स्टाफ सहित पचायत घर में अपने पुत्र बलविन्द्र सिंह से ताला लगाकर स्वयं को बंधक बनाने का नाटक किया, प्रशासन को यह सूचना दी कि ग्रामीणों ने उन्हे बंधक बना लिया है, ग्रामीण उचित मूल्य दुकानदार कृष्ण कुमार को निलम्बन की मांग कर रहे है, मौका पर पुलिस पहुंची व दवाब बनाकर प्रशासन से अपीलान्ट का लाईसेंस रद्द करने का आश्वासन मिलने पर पुलिस ने सरपंच के पुत्र बलविन्द्र सिंह से चाबी लेकर पंचायत घर का ताला खोला, खानापूर्ति के लिए अज्ञात के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई जबकि मौका पर सरपंच पुत्र बलविन्द्र सिंह से चाबी से ताला खोला गया था तो भी अज्ञात में प्रथम सूचना दर्ज हुई, अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त करवा दिया। सरपंच हरबंश सिंह का मन इतने से भी नहीं भरा तो उसने अपने

Web Copy - Not Official

उक्त व्यक्तियों को इकठ्ठा कर सड़क हनुमानगढ़–थालड़का मार्ग पर जाम लगा दिया व अपीलान्ट के खिलाफ जबरन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्रशासन पर दवाब बनाया व प्रशासन पर दवाब बनाकर अपीलान्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2017 पुलिस थाना तलवाड़ा में दर्ज करवाई व आरोप लगाया कि 11 राशन कार्डो में इन्ट्री नहीं है, ऐसा दिखाकर गबन का आरोप अपीलान्ट पर लगाया। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में तफतीश अधिकारी द्वारा स्टॉक व पोस मशीन का रिकार्ड चैक कर सही माना व एफआर पेश कर दी व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी के समक्ष पेश कर दी थी लेकिन उक्त राजनैतिक व्यक्तियों ने धरने आदि का दवाब बनाकर न्यायालय से पुनः उक्त एफ. आर वापस प्राप्त कर 171 राशन कार्डो में इन्ट्री न होने का आरोप लगाकर गबन का मुकदमा में गलत चालान पेश कर दिया जबकि जब्तशुदा राशन कार्डो के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा था कि उसमें पेज निकालकर नये पृष्ठ जोडे गये है जबकि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि कुछ गड़बड़ है। अपीलान्ट पर दवाब बनाकर जेल भेजने की योजना बनाई, तब अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष अग्रिम जमानत की गुहार गई, उसमें माननीय न्यायलय के समक्ष इस बात की सहमति दी कि यदि सरकार का कोई गबन हुआ तो अपीलान्ट द्वारा 1,76,000/रूपये का जमा कराये गये डी.डी. में से उक्त राशि सरकार जब्त कर सकेगी। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त राशि का डी.डी. बनकार बतौर सिक्योरिटी सौंपा। पुलिस पर दवाब बनाकर अपीलान्ट के विरूद्ध चालान पेश करवा दिया गया। मौजूदा तफतीश अधिकारी ने उक्त राजनैतिक व्यक्तियों को खुश करने के लिये अपीलान्ट पर गलत चार्जशीट पेश कर दी, जिसे आधार मानकर बिना कोई जांच किये श्रीमान जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 15.04.2021 को अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो कतई अन्याय की श्रेणी में आता है। श्रीमान जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कोई जांच नहीं की, ना ही अपीलान्ट को सुना व ना ही किसी तरह पोस मशीन व स्टॉक का मिलान किया गया। श्रीमान जिला रसद अधिकारी ने पोस मशीन का स्टॉक व भौतिक रूप से स्टॉक का निरिक्षण करने की भी जहमत नहीं उठाई जबकि मोस मशीन वितरण व शेष स्टॉक सही था। उचित मूल्य दुकानदारों पर स्टॉक वितरण की प्रणाली को समझना भी उचित नहीं समझा। जिस राशन कार्डो की एन्ट्री में भिन्नता का आरोप लगाया जा रहा है तो राशन कार्ड से वर्तमान में वितरण नहीं किया जा रहा है। राशन कार्ड में एन्ट्री की कोई आवश्यकता ही नहीं रखी गई है। वर्तमान में जिस उचित मूल्य दुकानदार को राशन वितरण की अस्थाई व्यवस्था की गई है, उसके द्वारा भी राशन कार्ड में कोई एन्ट्री नहीं की जाती है। पोस मशीन व्यवस्था लागू होने के बाद राशन वितरण का कार्य पोस मशीन करती है, उचित मूल्य दुकानदार केवल स्टॉक का पहलेदार मात्र है। उसकी बैंक एटीएम के बारह खडे गार्ड की भूमिका जैसी है। कोई भी राशन कार्ड धारक को राशन प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित प्रणाली लागू की गई है–

1. राशन कार्ड से या राशन कार्ड के नम्बर से
2. भामाशाह कार्ड से या भामाशाह कार्ड के नम्बर से
3. आधार कार्ड से या आधार कार्ड के नम्बर से
4. ओटीपी से (किसी भी धारक का अंगूठा पोश मशीन पर लगाने पर एक ओटीपी नम्बर धारक के पास उसके रजिस्टर्ड मोबाईल पर आता है उस ओटीपी से राशन प्राप्त हो जाता है।)

राशन वितरण प्रणाली में उक्त चारों तरीकों में राशन कार्ड धारक का अगूंठा पोस मशीन पर लगेगा तो ही राशन पोस मशीन स्टॉक में रिलीज करेगी तो राशन कार्ड धारक के बिना आये व उक्त चारों प्रक्रिया में से किसी एक को अपनाये बिना व अंगूठा लगाये बिना राशन स्टॉक से रिलीज नहीं हो सकता है तो उचित मूल्य दुकानदार के ऊपर यह आरोप लगाना कि राशन कार्ड में एन्ट्री नहीं है व गबन किया गया है, कतई उचित व न्यायोचित नहीं है जबकि राशन कार्ड का राशन प्राप्त करने के लिये उचित मूल्य दुकानदार के पास लाना जरूरी नहीं है। यदि पोस मशीन कभी खराब हो जाये तो ही राशन कार्ड में इन्ट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है अपीलान्ट ने अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से किया है। पोस मशीन द्वारा राशन कार्ड धारक को पहचान कर राशन वितरण किया जो स्टॉक शेष था, उसे दिनांक 10.01.2017 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के आदेश से

श्रीमान प्रीतपाल उचित मूल्य दुकान चाहूवाली को चार्ज में 90 क्विंटल 70 किलोग्राम गेहूं, 270 लीटर कैरोसिन व 20 किलो चीनी का स्टॉक सम्भलाया। पोस मशीन के अनुसार अपीलान्ट के पास सभी इन्ट्रीया सही थी तो अपीलान्ट ने अपने कार्य मे कहां लापरवाही व गबन किया। अपीलान्ट के खिलाफ एक षडयन्त्र किया व उसे हटाने के लिये प्रशासन पर नाजायज दवाब बना गया। अपीलान्ट गलत तरीके से राजनीति का शिकार हो गया। सही तरीके से काम करने के बाद गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, बिना वजह अपीलान्ट को दोषी ठहराया जाना न्यायिक सिद्धान्तो के विरूद्ध है लेकिन श्रीमान जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ ने उक्त तमाम बातों को नजरअंदाज कर उक्त आदेश पारित कर दिया जो कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के खिलाफ झूठा षडयन्त्र व दवाब बनाने वाले व्यक्ति सरपंच हरबंश सिंह आदि के चरित्र की ओर श्रीमान जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के कार्यालय का स्टाफ ध्यान करवा चुका है कि उक्त सरपंच ने दिनांक 28.03.2019 को श्रीमान जी के कार्यालय मे आकर जबरन उचित मूल्य दुकानदार का चार्ज अन्य को देने के बाबत् स्टाफ से गाली गलौच कर चुके है व बाद में अपने विरूद्ध कार्यवाही से बचने के लिए लिखित में माफी भी मांग चुके है। लिखित माफी का माफीनामा की प्रति संलग्न अपील है। इतना ही नहीं इनका चरित्र इस बात से भी उजागर होता है कि उक्त सरपंच हरबंश सिंह व अन्य ने दिनांक 10.02.2017 को राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय रामपुरा उर्फ रामसरा टिब्बी अध्यापकगण से गली गलौच, हाथापाई की तब राजकार्य में बाधा के मुकदमें से बचने के लिए माफीनामा लिखकर दिया जो कि अपील में संलग्न है।

श्रीमान जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा उक्त बिन्दुओं पर गौर किए बिना केवल प्रशासन पर दवाब में कराये गये अपीलान्ट के खिलाफ चालान को आधार बना यह उक्त आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। श्रीमान जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने आदेश को भावना में बहकर पारित किया है क्योंकि केवल पुलिस चार्जशीट से अपीलान्ट दोषी साबित नहीं हो गया है, मुकदमें तो कई उचित मूल्य दुकानदारों पर चल रहे है जिन्हे स्वयं श्रीमान जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा बहाल किया गया है। अपीलान्ट के खिलाफ यह सौतेला व्यवहार कतई न्यायोचित नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त तमाम वस्तुस्थिति पर गौर कर जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2021 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कृष्ण कुमार पुत्र राजराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा के उचित मूल्य दुकान की जांच से सम्बन्धित मूल पत्रावली प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्षी में जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक रसद/अभि./2020/21396 दिनांक 15.04.2021 व दिनांक 28.03.2019 की जांच रिपोर्ट द्वारा कृष्ण कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ तथा प्रधानाध्यापक राज. मा. विद्यालय, रामपुरा उर्फ रामसरा में लिखित माफीनामा हरबंश सिंह पुत्र निका सिंह सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा, हंरबंश सिंह सरपंच द्वारा जारी पत्र एसडीएम, टिब्बी व थानाधिकारी, तलवाड़ा झील को प्रस्तुत पत्र की प्रतियां व प्रथम सूचना रिपोर्ट थानाधिकारी, तलवाड़ा झील की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

बहस अपीलाण्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख का अध्ययन किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 01/2020 अनवान कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ में दिनांक 18.11.2020 को निर्णय पारित कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा विधिक प्रावधानों का ध्यान रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे। प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान के जुर्म धारा 409 भा.द.स. प्रमाणित पाया गया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिशन संख्या 8146/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा 25.10.2018 को अनुसंधान अधिकारी को तलब किया जाकर माननीय न्यायालय के मौखिक आदेश की पालना में थानाधिकारी, तलवाड़ा द्वारा

आरोपी उचित मूल्य दुकानदार कृष्ण कुमार द्वारा 176000 का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया जो कि जिला रसद अधिकारी कार्यालय में दर्ज करवाकर प्राप्ति रसीद सम्बन्धित को दी गई था माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जोधपुर का प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2018 को आरोपी उचित मूल्य दुकानदार की अग्रिम जमानत स्वीकार की गई। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 86.07 क्विं. गेहुं, 258.05 लीटर केरोसीन व 6 किलो. चीनी का दुरूपयोग किया जाकर राज्यकोष को हानि पहुंचाई गई है। अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनिमय आदेश 1976) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण की पूर्ण नियमानुसार जांच की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2021 की पालना में जारी आदेश क्रमांक रसद/अभि./2020/21396 दिनांक 15.04.2021 यथावत रखा जाता है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़